

## स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
..... पिता/पति श्री ..... पता—  
ग्राम/वार्ड/शहर ..... डाकघर .....  
थाना ..... जिला ..... के स्थानीय निवासी हैं  
और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञाप  
सं० ५/विविध — ०९/२००१ (डोमिसाईल) का० २६९१ दिनांक २९.०४.२००२ में उल्लेखित  
प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र शैक्षणिक कार्य के संदर्भ में  
मान्य होगा।

स्थान — .....

दिनांक : .....

(जिला/अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

कार्यालय का मुहर